प्रति

माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय, जिला जबलपुर
संबंधित थाना लार्डगंज थाना

विषय:-मेरे पति श्री विपुल उर्फ संदीप जैन, ससुर श्री शीलचंद जैन, सास कमला जैन, ननद श्रीमति संध्या जैन, सरिता जैन एवं शालिनी जैन द्वारा मुझसे एवं मेरे पुत्र श्रेयांश जैन के साथ अत्याधिक मारपीट कर घर से भगाने एवं कम दहेज लाने का ताना मारकर मायके से मेरे पिता की संपत्ति से दहेज लाने हेतू प्रताड़ित करने के संबंध में शिकायती पत्र।

महोदय जी

मैं नीति जैन उम्र 33 वर्ष निवासी 478, मोची कुंआ गढ़ाफाटक वार्ड नं 22, जवाहरगंज जबलपुर हूं। मेरा विवाह दिनांक 10.12.2017 को श्री विपुल उर्फ संदीप जैन से हिन्दु रीति रिवाज से अत्याधिक दान दहेज सभी ससुराल वालों की मांग पर दिया जाकर संपन्न हुआ था।

महोदय जी विवाह के दो-तीन दिन बाद से ही मेरे ससुर श्री शीलचंद जैन, सास कमला जैन, ननद श्रीमति संध्या जैन, सरिता जैन एवं शालिनी जैन द्वारा मुझसे दहेज की मांग करते हुए अत्याधिक मारपीट तथा प्रताड़ित किया जाता रहा है, जिससे मेरे पिताजी अत्याधिक तनावग्रस्त रहते थे एवं कई बार मेरे पिताजी द्वारा इस संबंध में मेरे ससुराल में आकर समझाने का प्रयास किया गया एवं सामाजिक स्तर पर भी सामाजिक वरिष्ठगणों द्वारा वार्ता कर मेरे पति, सास-ससूर व ननद को मेरे साथ मारपीट नहीं करने हेतु समझाइश दी थी एवं सामाजिक वरिष्ठगणों के समक्ष मेरे ससुरालजनों द्वारा की जा रही दहेज की डिमाण्ड को कई बार मेरे पिता जी द्वारा पूरा किया गया और मुझे शांति से पत्नि धर्म का पालन करने कहा, परन्तु सभी की समझाइश का मेरे ससुरालजनों के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया एवं पूर्व की भांति मेरे साथ मारपीट जारी थी एवं मेरे पुत्र श्रेयांश जैन एवं मुझसे कई बार मारपीट कर घर में एक कमरे में बंद कर कई दिनों तक मारपीट की जाती थी एवं मुझे और मेरे पांच वर्ष के मासूम बच्चे को भूखा रखा जाता था। मेरे पिता इसी तनाव के चलते कई विभिन्न बीमारियों का शिकार हो गये एवं अत्याधिक बीमारी के चलते कोविड में उनका स्वर्गवास हो गया। मैं अपने ससुरालजनों एवं पति के व्यवहार में परिवर्तन की आस में समय व्यतीत करती चली गई परन्तु पति के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया।

महोदय मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो जाने के उपरान्त भी मेरे ससुर श्री शीलचंद जैन, सास कमला जैन, ननद श्रीमति संध्या जैन, सरिता जैन एवं शालिनी जैन के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया एवं पहले से भी अत्याधिक क्रूर व्यवहार किया जाने लगा एवं "अपने स्वर्गवासी पिताजी की

26/10/23

संपत्ति से हिस्सा लेकर आ नहीं तो तुझे और तेरे बेटे को जान से मार देंगे और यदि दहेज में संपत्ति नहीं लाई तो हमारे घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है'' यह कहते हुए मेरे पति द्वारा मेरे भाई और मेरी माताजी को भी गन्दी गन्दी गालियां दी गई एवं उन्हें भी जान से मरवाने की धमकी दी गई।

महोदय, उसके बाद जब मैने कहा कि मेरे पिताजी नहीं रहे अब तो मुझ पर तरस खाओं और मुझे परेशान करना छोड़ दो मेरे भाई और माता जी की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तब मेरे पति और ससुराल में सभी ने मुझे कहा कि तेरे पिताजी तो नहीं रहे अब तेरी मां जेवर का क्या करेगी, उनके पूरे जेवर, गाड़ी और मकान के कागज लेकर आ और ऐसा कहते हुए सभी ने मुझे एवं मेरे पांच वर्ष के बेटे को अत्याधिक गन्दी गालियां देते हुए मेरे पति ने मेरे बाल पकड़कर मारपीट करते हुए घर के एक कमरे में बन्द किया फिर दीवार पर मेरा सर पटक दिया एवं जमीन पर पटक कर लात घूसों से मारते हुए मेरा गला दबाकर मेरी छाती पर चढ़ गये और मुझे जान से मारने का प्रयास किया व मेरे पुत्र को भी गला दबाकर जान से मारने का प्रयास किया और जब मैं अधमरी हो गई तो वह कहने लगे कि ''बता तूं जेवर, गाड़ी व जायदाद के पेपर लायेगी या नहीं'' यह कहकर फिर मारा एवं कहने लगे अगर तूं नहीं लायेगी तो तेरा जिन्दा रहना मुश्किल है ऐसा कहकर मुझे एवं मेरे बेटे को फिर घसीटकर मारा और कमरे के अन्दर बन्द करने लगे।

महोदय जी किसी तरह मैने मौका पाकर अपने मामाजी श्री बाबूलाल जी जैन जो कि सागर में निवासरत हैं। उन्हें रात्रि लगभग 3:15 बजे फोन कर उपरोक्त घटना के बारे में बताया और यह कहा कि मामाजी अब मुझसे दर्द सहन नहीं हो रहा है आप जल्दी आ जाओं नहीं तो सुबह तक मैं नहीं बचूंगी एवं फोटो भी अपने भाई के मोबाइल पर भेजी। उपरोक्त घटना की जानकारी पाकर मेरे परिजनों में से मेरे मामाजी श्री बाबू लाल जैन, मेरे मामाजी का बेटा गौरव जैन व मेरी छोटी मामी निलिमा मोदी व मेरे ममेरी बहन के पति आशीष कुमार जैन सभी मेरे ससुराल आये और मुझे एवं मेरे पुत्र को कमरे से अधमरी हालत में बाहर निकाला एवं पानी पिलाया ततपश्चात मैं अपने साथ हुई दर्दनाक घटना से अपने परिवारजनों को अवगत कराया एवं उसके बाद भी मेरे पति विपुल उर्फ संदीप जैन, ससुर श्री शीलचंद जैन, सास कमला जैन, ननद श्रीमति संध्या जैन, सरिता जैन के द्वारा मेरे परिजनों से कहा गया कि ''इसे ले जाओं इस बार तो जिन्दा मिल गई है अगली बार यदि प्रापर्टी मेरे नाम नहीं हुई तो इसका व श्रेयांश का जिन्दा रहना मुश्किल होगा।''

महोदय तब सहनशीलता की सारी हदें पार होने पर मुझे और मेरे पुत्र को अधमरी हालत में ही मेरे परिजन मुझे मेरे छोटे चाचा ससुर छोटे लाल जैन के घर ले गये और वहां सारा वृत्तांत बताया एवं ससुराल जनों को समझाइश देने को कहा परन्तु मेरे पति व ससुराल के सभी लोग दहेज में संपत्ति लाने एवं उसे मेरे पति के नाम करने की बात पर अड़े रहे एवं कोई सहमति नहीं बन पाई। जिसके

बाद मै अपना सारा स्त्रीधन और आभूषण ससुराल से लिये बिना ही अपने परिजनों के साथ उपरोक्त घटना की लिखित शिकायत करने थाना लार्डगंज चली गयी एवं वहां से रिपोर्ट दर्ज कराकर पुलिस द्वारा मारपीट की जांच हेतु की जाने वाली मेडिकल चेकअप करवाने के लिए विक्टोरिया अस्पताल गये जहां परीक्षण के उपरांत परीक्षकों ने मुझे पुलिस अधिकारियों के समक्ष गंभीर स्थिति बताकर मुझे दिनांक 01.10.2023 को विक्टोरिया अस्पताल में भर्ती कर लिया। जहां दो दिन उपचार होने के बाद तीसरे दिन दोपहर में मेरी हालत गंभीर होने के कारण मुझे मेडिकल रिफर कर दिया गया वहां मुझे अत्यंत गंभीर चोटें होने के कारण विभिन्न जांच करते हुए केजुएल्टी में डॉक्टर के निरीक्षण में रखा गया, जहां पर चिकित्सकों के निरीक्षण का आभाव होने के कारण मुझे आराम नहीं लगा। जिसके कारण मेरे परिजनों ने मुझे बाम्बे हॉस्पिटल में लाकर भर्ती किया। जहां अभी भी गंभीर हालत में मेरा उपचार किया जा रहा है। महोदय उपरोक्त प्रताड़नाओं के कारण मेरे पुत्र की मानसिक स्थिति भी बिगड़ने लगी है।

महोदय जी मेरे ससुरालजनों ने यह निंदनीय कृत्य करने के उपरान्त अभी भी मेरे परिजनों को विभिन्न माध्यमों से डराकर धमकाकर एवं जान से मारने की धमकी देकर रिपोर्ट वापस लेने एवं संपत्ति मेरे पति विपुल उर्फ संदीप जैन के नाम करने हेतु प्रताड़ित किया जा रहा है। साथ ही उपरोक्त घटना को दबाने के लिए मेरे ऊपर अनर्गल लांछन लगाते हुए मेरी मान मर्यादा एवं सामाजिक गरिमा को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है।

अत: माननीय महोदय जी से निवेदन है कि मेरे पति विपुल उर्फ संदीप जैन, ससुर शीलचंद जैन, सास कमला जैन, ननद संध्या जैन, सरिता जैन एवं शालिनी जैन द्वारा की गई क्रूरता, मानसिक प्रताड़ना एवं मारपीट के विरूद्ध कठोर कानूनी कार्यवाही करने एवं मुझे उचित न्याय दिलाने की कृपा करें।

स्थान-जबलपुर

दिनांक-06.10.2023

प्रार्थी

नीति जैन

मो. 7000364659

।। श्री महावीराय नमः ।।

श्री दिगम्बर जैन पंचायत सभा
जबलपुर

कमरा नं. - 3, आचार्य श्री शांतिसागर भवन, जवाहरगंज, जबलपुर - 482002 (म.प्र.)

अध्यक्ष
कैलाश चंद जैन
मोबा. 9300902805, 8770921681

महामंत्री
अनिल जैन (गुड्डा)
मोबा. 9425863390

कोषाध्यक्ष
स. सिं. सतीश जैन 'वर्धमान'
मोबा. 9301055012

उपाध्यक्ष
सुजीत जैन 'भाऊ'
मोबा. 9827046220

राकेश जैन 'दाऊ'
मोबा. 9300121031

मंत्री
मुकेश जैन 'फणीश'
मोबा. 9300011610

लेश जैन 'चौधरी'
बा. 9425325015

संगठन मंत्री
अशोक सिंघई
बा. 9425152107

प्रचार मंत्री
भाष जैन 'जतारा'
बा. 9425893450

प्रवक्ता
त जैन 'पड़रिया'
. 9713350666

दिनांक 6/10/2023

क्र. प्रति,

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय

जबलपुर

विषय :- **श्रीमती नीति जैन पत्नि श्री विपुल जैन उर्फ संदीप जैन की शिकायत लार्डगंज थाने में पंजीबद्ध के संबंध में कठोर से कठोर कार्यवाही करने बावत्।**

महोदय जी,

श्री शीलचंद जी जैन 478, मोची कुंआ गढ़ाफाटक जबलपुर के पुत्र विपुल उर्फ संदीप जैन के साथ-साथ पूरे परिवार का प्रकरण लार्डगंज थाना में पंजीबद्ध है जिसमें अभी तक कोई संतोषजनक कार्यवाही नहीं हुई है।

चूंकि श्री दिगंबर जैन पंचायत सभा, जबलपुर जिले की एक सामाजिक संस्था है और इस प्रकरण को शीघ्र समाधान हेतु पंचायत सभा का दायित्व होता है। अतः आप महामना से श्री दिगम्बर जैन पंचायत सभा के साथ-साथ सकल जैन समाज निवेदन करती है कि उपरोक्त प्रकरण को आप अपने संज्ञान में लेकर संबंधित थाने को कठोर से कठोर कार्यवाही करने हेतु प्रयास कर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने में सहयोग प्रदान करें।

धन्यवाद!

06/10/23

महामंत्री

अनिल जैन 'गुड्डा'